

पत्रांक: 54/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01 05/2019/ 66(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

उप विकास आयुक्ता, नालन्दा एवं गोपालगंज।
प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज, सारण एवं
भागलपुर।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास, पटना,
नवादा, कैमुर, औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर,
सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियाँ, कटिहार,
बाँका, सहरसा एवं बेगुसराय।

पटना, दिनांक 5/2/2020

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00 लघुशीर्ष 001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0003-जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित कुल ₹11,58,71,400.00 (ग्यारह करोड़ अष्टावन लाख इकहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4 05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. "सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से गाननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमित भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।

4. संलग्न विवरणी की कंडिका 11 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 37 दिनांक 09.01.2020 एवं कंडिका 18 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक 03 दिनांक 01.01.2020 के आलोक में राशि आवंटित है।

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

   

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पॉचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।
11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2515000010003 है।
14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरबन्ध पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(कल्पनी कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-05/2018/66(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 5/2/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/रागी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पनी कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-05/2017/66(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 5/2/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पनी कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिवृद्ध व्यय अंतर्गत 'मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन-उपशीर्ष-0003-जिला पंचायत की स्थापना' मद में व्यय हेतु राशि का आवंटन (किये गये) विवरणी।

क्र.	विकारी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन	जी.डी.आर.मंता	मंता	पं.मंता	वि.मंता	कुल	किं० प्रतिभूति	ग्रा. व्यय	दृष्टांत	विद्युत धारा बंदी / ग्रीवायु संचिका सेवारी	गैंग	
		0003.01.01	0003.01.03	0003.01.04	0003.01.05	0003.01.06		0003.08.01	0003.11.01	0003.13.03	0003.13.04	0003.13.06	0003.28.02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16
उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु													
1	उप विकास आयुक्त, गान्धारी	375000	7600	18000	5000	10000	415000						415000
2	उप विकास आयुक्त, गीवालागंज						0						150000
प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु													
3	उप निदेशक, पंचायत राज, सारण	375000	7600	18000	5000	10000	415000						415000
4	उप निदेशक, पंचायत राज, भागलपुर	375000	7600	18000	5000	10000	415000						415000
जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु													
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	360000	79000	37000			476000						476000
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मदन						0						100000
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गीवालागंज						0		300000				350000
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी						0		500000				500000
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुर्शिदा	100000	70000	50000	10000	25000	255000						255000
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहदपुर			12000			12000						12000
पुखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु													
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गान्धारी	5203000	871000	268000	100500	127300	6659800						2000000
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कंसु						0						2000000
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	9480000	1560000	480000	180000	228000	11928000						11928000
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गीवालागंज						0						1500000
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	116500000	2800000	1000000	500000	500000	21300000						21300000
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	27650000	4550000	1400000	525000	665000	34790000						34790000
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी	20540000	3380000	1040000	390000	494000	25844000						25844000
व्ययारण:													
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	5293000	871000	268000	100500	127300	6659800						6659800
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा						0						1000000
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	8643000	14203800	4609000	1821000	2196600	109171400						115871400
कुल योग :-													
कुल = मण्डल करोड़ अनुमान लाख इकाईतर हस्ता. चार ली. रूपये मात्र													

कुल = रमई करीब अष्टविन लाख शकहत्तर हजार चार सौ छपपे मात्र

(कल्पना शर्मा)
अनुश्रवण पदाधिकारी

9/10/20